न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :**मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2019–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–05–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 32/अपील/2014–15

.....

सदीर मोहम्मद पिता करीम खॉ मृतक तर्फे वारिसान
1–श्रीमती अख्तर नूरबी पति स्व0 सदीर मोहम्मद खॉ,
2–इकबाल मोहम्मद पिता स्व0सदीर मोहम्मद खॉ,
3–मुश्ताक मोहम्मद पिता स0सदीर मोहम्मद खॉ,
4–जावेद पिता स्व0 सदीर मोहम्मद खॉ
5–शाकीर मोहम्मद पिता स्व0सदीर मोहम्मद खॉ
6–अफसान बी पिता स्व0सदीर मोहम्मद खॉ
सभी निवासी कस्बा देपालपुर तहसील देपालपुर
जिला इंदौर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

लाखन पिता भुवानसिंह कलौता
निवासी ग्राम कलौतासेरी (भेरूमठ)
कस्बा देपालपुर तहसील देपालपुर जिला इंदौर

..... अनावेदक

– – –

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ए0के0अजमेरा, अभिभाषक, अनावेदक

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/5/16 **को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश 07–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार देपालपुर के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 एवं 115, 116 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के पूर्वजों के नाम सर्वे कमांक 27/1/3 रकबा 0.014 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2009–10 तक दर्ज रही है । उक्त भूमि आवेदकगण के पूर्वज द्वारा अनावेदक के पिता भुवानसिंह से कय की गई थी । वर्ष 2011–12 व 2012–13 को खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि मृतक सदीर मोहम्मद का नाम कम किया जाकर अनोवदक का नाम दर्ज कर दिया गया है । सदीर मोहम्मद की मृत्यु दिनांक 30–6–2006 को हो गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक के स्थान पर आवेदकगण का नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 38/अ–6/12–13 दर्ज किया जाकर दिनांक 10–1–2014 को आदेश पारित कर खसरे के कॉलम नम्बर 12 में मृतक सदीर मोहम्मद की पत्नी का नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किय जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23–9–2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–5–2015 को आदेश पारित किया जाकर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत खसरे में हुई त्रुटि को सुधार करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है और उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ही तहसीलदार द्वारा विधिवत् जॉच की जाकर खसरे की प्रविष्टि को सुधारा गया है, अतः तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है।

(2) स्व0सदीर मोहम्मद द्वारा प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के पिता भुवानसिंह को विधिवत् पूर्ण प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से वर्ष 1993 में कय की जाकर भूमि का व्यपवर्तन अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 131/अ–2/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 30–8–1999 से स्वीकृत कराया जाकर मकान का निर्माण किया गया है, जिसमें आवेदकगण निवास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखो के खसरे के कॉलम नम्बर 12 में आवेदकगण का नाम दर्ज करने से अनावेदक के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

(3) वर्ष 2012–13 के राजस्व अभिलेखों में त्रुटिवश आवेदकगण का नाम विलोपित होने से संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा त्रुटि सुधार कर आवेदकगण का नाम दर्ज करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

(4) संहिता की धारा 49(3) में हुये संशोधन के अनुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय को स्वयं उभयपक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करना था, परन्तु उनके द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं कर पूर्व की स्थिति कायम करने में अवैधानिकता की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्क के समर्थ में 1994 आर.एन. 411 एवं 1998 आर.एन. 206 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक के पिता भुवानसिंह का वह वारिस है और उसके अलावा भुवानसिंह के अन्य वारिस भी हैं, परन्तु आवेदकगण द्वारा नामान्तरण प्रकरण में मृतक भुवानसिंह के सभी वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में मृतक सदीर मोहम्मद के पक्ष में कभी भी कोई विकय पत्र निष्पादित नहीं किया गया है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक सदीर मोहम्मद व उसके वारिसानों का कभी कोई कब्जा आज दिनांक तक नहीं रहा है और आवेदकगण द्वारा जिस नामान्तरण पंजी का उल्लेख किया जा रहा है, उसकी जानकारी अनावेदक को नहीं है ।

(4) तहसीलदार द्वारा बिना अनावेदक को सूचना पत्र जारी किये आदेश पारित किया गया है, अतः तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(5) चूँकि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है इसलिये उसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश यथावत् रखे जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और तहसीलदार द्वारा बिना अनावेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये खसरे के कॉलम नम्बर 12 में आवेदकगण का नाम दर्ज कर दिया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में तो पूर्णत वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, परन्तु पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश देने में अवैधानिकता की गई है । अनुविभागीय अधिकारी को चाहिये था कि वे प्रकरण तहसीलदार को उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये विधिवत् निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित करते, परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त कार्यवाही नहीं कर पूर्व की स्थिति कायम करने में अनुचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और चूँकि अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विधि विपरीत आदेश की पुष्टि की गई है इसलिये उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों

के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह उभयपक्ष को सुनकर विधिअनुसार निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ तीनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर